प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.03.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 01 अवैध देसी पिस्टल व 01 अवैध देसी तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 08.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 02 अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ राजू उर्फ साबिर पुत्र किशन उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम अटोराबडा मवाना थाना बड़ा मवाना चीनी मील के पास जिला मेरठ हाल पता गली नं0 02 विजय विहार थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष 2. सन्नी उर्फ लम्बू उर्फ राहुल पुत्र रोशन लाल निवासी गली नं0 12 जी 03 हीरो होण्डा शोरुम के पास पांचवा पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई मोटर साईकिल होण्डा लिवो रजि0 नं0 DL5SBM8456 जिसे जिपनेट पर डाल कर चेक किया गया जिसके सम्बन्ध में एफआईआर नं0 004931 दिनांक 17/02/2025 ई- पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली में पंजीकृत है तथा 01 देशी पिस्टल .32 बोर, 01 देशी तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम मौका पाकर चोरी की घटना कारित करते हैं। हमारे पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है ये पिछले महीने हमने दिल्ली से चोरी की थी तथा ये पिस्टल/तमंचा हम चोरी की घटना करते समय पकडे जाने पर लोगो को डराने व धमकाने के लिए अपने पास रखते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सोनू उर्फ राजू उर्फ साबिर पुत्र किशन उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम अटोराबडा मवाना थाना बड़ा मवाना चीनी मील के पास जिला मेरठ हाल पता गली नं0 02 विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

2. सन्नी उर्फ लम्बू उर्फ राहुल पुत्र रोशन लाल निवासी गली नं0 12 जी 03 हीरो होण्डा शोरुम के पास पांचवा पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त चोरी का वाहन व अवैध पिस्टल बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व पूर्व में 01 अभियोग मोटरसाइकिल चोरी का दिल्ली में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई मोटरसाइकिल होण्डा लिवो रजि0 नं0 DL5SBM8456, 01 देशी पिस्टल .32 बोर व 01 देशी तमंचा .32 बोर व 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान 01 जोड़ी टोप्स, 01 चेन पीली धातु, 05 सिक्के, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 2500 रूपये नगद, 01 गैस सिलेन्डर इन्डेन मार्का व 02 आधार कार्ड बरामद ।

दिनांक 07.03.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 06/07.03.2025 की रात्रि में हमारे पडोस में ही किराये के मकान में रह रहे शाहनवाज पुत्र सरफराज निवासी लिसाडी गेट मेरठ ने हमारे घर के ताले तोडकर चोरी कर ली है । प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 110/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत कर माल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 08.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शाहनवाज पुत्र सरफराज निवासी गली नं0 5 मोहल्ला रसीद नगर लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ, हाल निवासी अमित त्यागी के किराये के मकान में बालाजी मन्दिर के सामने विकास नगर डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र-30 वर्ष को नसबन्दी तिराहे के पास चौकी क्षेत्र डाबर तालाब से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया सामान 01 जोड़ी टोप्स, 01 चेन पीली धातु, 05 सिक्के, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 2500 रूपये नगद, 01 गैस सिलेन्डर इन्डेन मार्का व 02 आधार कार्ड बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने दिनांक 06/07.03.2025 की रात्रि में अपने पडोस में रहने वाले प्रवीन के घर का ताला तोड़कर चोरी की थी जहां से मैने सोने चांदी के जेवरात व कुछ रुपये चुराए थे । इससे पहले भी मैने जनवरी महीने में रात में सी ब्लाक इन्द्रापुरी में एक बन्द घर का ताला तोड़कर चोरी की थी । आज मैं चुरायी गयी ज्वैलरी व सिलेण्डर को बेचने जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शाहनवाज पुत्र सरफराज निवासी गली नं0 5 मोहल्ला रसीद नगर लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ, हाल निवासी अमित त्यागी के किराये के मकान में बालाजी मन्दिर के सामने विकास नगर डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र-30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी का 01 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग, थाना मुरादनगर पर लूट का 01 अभियोग, थाना लोनी बोर्डर पर चोरी का 01 अभियोग तथा थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ पर मारपीट-झगडा/एनडीपीएस एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 जोड़ी टोप्स व 01 चेन पीली धातु (सोने के)
2. 05 सिक्के व 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु (चांदी के)
3. 2500 रूपये नगद
4. 01 गैस सिलेन्डर इन्डेन मार्का
5. 02 आधार कार्ड

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 20.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री दि0 20.02.25 को समय 07.00 बजे उम्र 16 वर्ष कहीं चले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर मु0अ0सं0 91 /25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 27.02.25

को वादी की पुत्री को बरामद किया गया व पीडिता के बयान व मेडिकल के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। तत्पश्चात आज दिनांक 09.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विशाल शर्मा पुत्र बोबी नि0 ग्राम बिसाठ थाना हलदो जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पिछले 06-07 माह से इलाईचीपुर में लकडी की दुकान पर काम करता था। मैं अपने पडोस में रहने वाली वादी की पुत्री से बातचीत करने लगा व दिनांक 20.02.25 को मैं वादी की पुत्री को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

विशाल शर्मा पुत्र बोबी निवासी ग्राम बिसाठ थाना हलदो जिला बिजनौर उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.03.2025 को थाना मोदीनगर पर आवेदक ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल निवासी कंकरखेडा जनपद मेरठ द्वारा एक प्रार्थना-पत्र बाबत अभियुक्तगण भूपेन्द्रकान्त आदि 07 नफर अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दान दहेज की माँग पूरी ना होने पर आवेदक की पुत्री रुबी उम्र 24 वर्ष की फाँसी लगाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धारा-85/80/3(5) BNS व 3/4दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफतारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.03.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता श्रीमती ओमवती पत्नी सूरजपाल निवासी फफराना बस्ती लक्ष्मीनगर गली न0 10 थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 09.03.2025 थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सूरज पाल पुत्र छोटेलाल निवासी फफराना बस्ती लक्ष्मीनगर गली न0 10 थाना मोदीनगर गाजियाबाद को फफराना रोड मोदीनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त सूरजपाल उपरोक्त ने बताया कि उसके पुत्र भूपेन्द्र कान्त की शादी फरवरी 2023 में रुबी से हुई थी। दोनों पति – पत्नी के मध्य शादी के बाद से ही वैचारिक मतभेद व्याप्त हो गये थे। जिस कारण हमारे घर में कलेश रहता था। जिस कारण यह घटना घटित हुई है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

सूरज पाल पुत्र छोटेलाल निवासी फफराना बस्ती लक्ष्मीनगर गली न0 10 थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 65 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 4250/- रुपये बरामद।

दिनांक 04.11.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी महेश चन्द निवासी कृष्णा विहार लालकुंआ गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर धारा 305(A)/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 09.03.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त नीरज यादव पुत्र जयपाल सिंह निवासी किराये का मकान शाहपुर बम्हेटा थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम करीमपुर थाना बहादुरगढ जिला हापुड, उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र लालकुंआ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 4250/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। जब मुझे नशे की आवश्यकता होती है तो मैं मौका पाकर चोरी कर लेता हूँ। दिनांक 04.11.2024 को मैंने ही कृष्णा विहार लाल कुँआ के एक घर से मौका पाकर आभूषण एवं सामान चोरी किया था। आभूषण मैंने बेच दिये थे। ये 4250/- रुपये भी उन्ही ज्वैलरी को बेचे गये पैसे में से शेष बचे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज यादव पुत्र जयपाल सिंह निवासी किराये का मकान शाहपुर बम्हेटा थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम करीमपुर थाना बहादुरगढ जिला हापुड, उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 4250/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.03.2025 थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी श्री अंकित शर्मा पुत्र मुन्ना लाल शर्मा न्यू विकाश नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि डिस्कवर वाइक सवार चालक नाम व पता अज्ञात व उसके 10 -12 अज्ञात दोस्तों द्वारा एक राय होकर पैट्रोल पम्प (हरवंश फिलिंग प्वाइन्ट) पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद पर वादी पर हमला करना, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 191(2)/131/115(2)351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तगण 1.खुर्शीद पुत्र बुन्दू 2.राशिद उर्फ खुर्शीद पुत्र फकरू 3. शहजाद पुत्र इकबाल 4. भूरा उर्फ फुरकान पुत्र सईद 5. मोइन पुत्र पप्पू समस्त निवासीगण पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को ग्राम पावी से गिरफ्तार किया गया जिनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मोटरसाइकिल चालक खुर्शीद उर्फ खुशी द्वारा बताया गया कि मैं दिनांक 08.03.2025 को समय करीब 22.00 बजे पेट्रोल पम्प हरवंश फिलिंग स्टेशन पावी सादकपुर पर मोटरसाइकिल में तेल भरवा रहा था मुझे लगा कि कर्मचारी द्वारा कम तेल भरा गया है इसी बात को लेकर पम्प का कर्मचारी मेरे साथ उलझ रहा था। मैंने फोन करके अपने साथी राशिद उर्फ खुर्शीद, शहजाद , भूरा उर्फ फुरकान ,मोइन निवासीगण पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व अपने अन्य साथियों को पम्प पर बुला लिया था और हमने मिलकर पम्प के कर्मचारी के साथ एक राय होकर मारपीट की थी तथा लोगों को आता देख जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.खुर्शीद पुत्र बुन्दू निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
2.राशिद उर्फ खुर्शीद पुत्र फकरू निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।
3. शहजाद पुत्र इकबाल निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
4. भूरा उर्फ फुरकान पुत्र सईद निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।
5. मोइन पुत्र पप्पू निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डिस्कवर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक तिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी व स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 09.03.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी व स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त 1. राजा पुत्र राजवीर सिहं निवासी बी 55 कृष्णा बिहार कुटी भोपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष व 2. युनुस उर्फ मच्छा पुत्र युसुफ निवासी जन्नती मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को बेटी बचाओ बेटी पढाओ तिराहा से स्नैचिंग से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01

मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजा पुत्र राजवीर सिहं व युनुस उर्फ मच्छा पुत्र युसुफ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2),317(5) की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राजा पुत्र राजवीर सिहं व युनुस उर्फ मच्छा पुत्र युसुफ उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त रोड़/घर के बाहर खड़े दो पहिया वाहन को चोरी कर उन्ही वाहनों से मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटना कारित करते है। इसीक्रम में दोनों अभियुक्तों द्वारा थाना टीलामोड़ क्षेत्र से बरामद दोनों मोबाइल फोन की स्नैचिंग की गई व बरामद मोटर साइकिल को चोरी किया गया। दोनों अभियुक्त उपरोक्त चोरी व स्नैचिंग किए हुए दो पहिया वाहन व मोबाइल फोन को बेचकर पैसों को आपस में बांट लेते है और अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. राजा पुत्र राजवीर सिहं निवासी बी 55 कृष्णा बिहार कुटी भोपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. युनुस उर्फ मच्छा पुत्र युसुफ निवासी जन्नती मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

बरादमगी का विवरणः-

- चोरी/स्नैचिंग से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त राजा पुत्र राजवीर सिहं उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर स्नैचिंग व चोरी, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 07 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 08 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त युनुस उर्फ मच्छा के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर स्नैचिंग व चोरी, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।